0000 998366

।। श्री गणेशाय नमः ।।

विक्रय पत्र

विक्रय का बाजार मूल्य 12,10,000 रूपया
अंकन बारह लाख दस हजार रूपया पर

स्टाम्प डि0	90,750 रूपया
जनपद सभा डि0	12,100 रूपया
उपकर	4,538 रूपया
अतिरिक्त	112 रूपया
योग	1,07,500 रूपया

विक्रय संपत्ति ग्राम लगरी प.ह.नं. 25 पुराना, नया 34 रा.नि.मं. जबलपुर 1 तह. व जिला जबलपुर की है । जो नगर निगम सीमा जबलपुर से बाहर है । विक्रय संपत्ति ग्राम मगागरा पिण्डरई तह. व जिला जबलपुर में स्थित है। विक्रय संपत्ति उपमार्ग पर स्थित है जो निजी रास्ता है ।

विक्रय संपत्ति कृषि भूमि है, असिंचित है, अविकसित है, वर्तमान में एक फसली है, हस्तांतरक विक्रेता आदिवासी नहीं है अतएव धारा 165 (6) म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 के तहत पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है । विक्रय संपत्ति शासकीय पट्टा या भूदान की भूमि नहीं है । विक्रय संपत्ति पर फलदार वृक्ष एवं इमारती वृक्ष नहीं है

विक्रय संपत्ति भू अधिकार ऋण पु. क्रं. पी 569381 P0006 598360

विक्रय पत्र लिख दिया खरीददार:- **महर्षि शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा अरविंद सिंह राजपूत** पिता श्री डी. एस. राजपूत निवासी- ए-3/1 स्नेह नगर, गढ़ा गढ़ा शहर, तह० जिला जबलपूर वालो को।

विक्रेता:- **श्री कृष्ण मनोहर जायसवाल** पिता स्व. श्री बाबूलाल जायसवाल निवासी- 2324/बी राईट टाउन शहर तह० जिला जबलपूर वालो ने।

विक्रय संपत्ति का विवरण

इस दस्तावेज की विक्रय विषय वस्तु कृषि भूमि है, जिसका प्रयोजन शुरू से ही कृषि रहा है, लगातार कृषि हो रही है, पड़त नही है। लगातार भूमि का प्रयोजन कृषि मे होने से विक्रय भूमि स्थित भूमि की परिभाषा मे नही आती है । तथा कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्र जबलपुर से प्राप्त अभिमत क्रमांक 3497 / नग्रानि/ जबलपुर दिनांक 9.10.79 की जानकारी मे जबलपुर विकास योजना मद मे विक्रय भूमि का निर्दिष्ट उपयोग कृषि भूमि है

विक्रय जमीन मौजा लमती (ग्राम पंचायत पिंडरई) नं. ब. 642 प. ह. नं. 25 पुराना, नया नं. 31 रा. नि. मं. जबलपुर -1 तह० जिला जबलपुर मे स्थित भूमि खसरा नं. 39 रकबा 2.341 हैक्टेयर, मे से रकबा विक्रय भूमि 2 एकड़ यानि .80 हैक्टर लगान रेट मुताबिक हल्का भूमि स्वामी हक है, खरीद के बाद से समस्त अधिकार क्रेताअधिकारी के शामिल होती है, अतः भूमि महर्षि शिक्षा संस्थान के द्वारा एवं उनसे संबंधित संस्थानों के शैक्षिक कार्य के लिये खरीदी जा रही है ।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

चौहद्दी:- उत्तर में रेडियो स्टेशन, दक्षिण में विक्रेता की 0000 998367 भूमि ख. नं. 2/7 पूर्व में स्प्रिच्युअल रेजनरेशन मूवमेन्ट फाउन्डेशन पश्चिम में विक्रेता है।

प्रतिफल

उक्त भूमि का विक्रय प्रतिफल रुपया 12,10,000 अंकन बारह लाख दस हजार रुपया चैक क्रमांक 762631 स्टेट बैंक आफ इंदौर मालवीय चौक जबलपुर से प्राप्त कर लिया है। अब या आयंदा कुछ भी लेना शेष नहीं रह गया है।

विक्रय पत्र का लेख

वजह यह कि उक्त विक्रय संपत्ति के विक्रेता स्वतंत्र मालिक काबिज चले आते हैं, व समस्त वैधानिक अधिकार निहित हैं विक्रेता का नाम सभी भू राजस्व अभिलेखों पर एकल भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है, क्रेता उक्त जायदाद क्रय करने के इच्छुक थे और चूंकि क्रेता का प्रस्ताव अन्य क्रेताओं के मध्य से सर्वोत्तम था, अतः आप क्रेता को ही विक्रय करना तय किया अतः यह उपरोक्त वर्णित उक्त कृषि भूमि संपत्ति को सदैव के वास्ते समस्त अधिकारों सुखाधिकारों के सहित स्थाई तौर पर स्थित हर चीज के सहित खाली व पाक साफ हालत में विक्रय कर खास कब्जा दखल मालकाना सौंप दिया है, अब आज से आप उक्त जायदाद के मालिक हुए, उक्त विक्रीत जायदाद मौजा लमती में स्थित है, आज से आप क्रेता उपरोक्त विक्रय भूमि के पूर्ण स्वामी मालिक हुए। कब्जा खास आपका हुआ आप एकल भूमि स्वामी व मालिक काबिज हैसियत से भू राजस्व अभिलेखों पर अपना नाम दर्ज करा लें।

यह कि विक्रय संपत्ति पाक साफ है, कहीं रहन, विक्रय, दान आदि नहीं है। किसी लगान आदि का भार नहीं है, सभी प्रकार के भार व झगड़ों से मुक्त है। किसी का कोई हक हिस्सा दावा देना शेष नहीं रह गया है।

यह कि विक्रय संपत्ति का आज तक का जो भी लगान, टेक्स, देयक आदि अदा

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

00DD 998452

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

विक्रय पत्र

विक्रय या बाजार मूल्य 48,40,000 रुपया अंकन अड़तालीस लाख चालीस हजार रुपया पर

स्टाम्प डि0	3,63,000 रुपया
जनपद सभा डि0	48,400 रुपया
उपकर	18,150 रुपया
अतिरिक्त	450 रुपया
योग-	**4,30,000 रुपया**

विक्रय संपत्ति ग्राम ज्ञमनी प.ह.नं. 25 पुराना, नया 34 रा.नि.मं. जबलपुर 1 तह. व जिला जबलपुर की है। जो नगर निगम सीमा जबलपुर से बाहर है। विक्रय संपत्ति ग्राम पंचायत पिण्डरई तह. व जिला जबलपुर में स्थित है। विक्रय संपत्ति उपमार्ग पर स्थित है जो निजी रास्ता है।

विक्रय संपत्ति कृषि भूमि है, असिंचित है, अविकसित है, वर्तमान में एक फसली है, हस्तांतरक विक्रेता आदिवासी नहीं है अतएव धारा 165 (6) म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 के तहत पूर्वानुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। विक्रय संपत्ति शासकीय पट्टा या भूदान की भूमि नहीं है। विक्रय संपत्ति पर फलदार वृक्ष एवं इमारती वृक्ष नहीं है

विक्रय संपत्ति भू अधिकार ऋण पु. क्र. पी 569381, पी. 196872, पी. 423963 पर दर्ज है।

विक्रय पत्र लिख दिया खरीददार:- ***गान्धर्व शिक्षा संस्थान नई दिल्ली*** द्वारा श्री अरविंद सिंह राजपूत पिता श्री जी. एस. राजपूत निवासी- ए-3/1 स्टाफ नगर गढ़ा गल्ला जबलपुर वालो को।

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0ODD 998453

विक्रेताः- **1.श्री कृष्ण मनोहर जायसवाल** पिता स्व. श्री बाबूलाल जी जायसवाल निवासी- 2324/बी राइट टाऊन जबलपुर. **2. श्रीमति वीरांगना जायसवाल** धर्मपत्नि स्व. श्री श्याम मनोहर जायसवाल निवासी- 2324/बी राईट टाऊन जबलपुर **3. श्रीमति प्रशंसा जायसवाल** धर्मपत्नि श्री संदीप जायसवाल निवासी- गोपाल वाली की ओर मु. आम **श्री कृष्ण मनोहर जायसवाल** पिता स्व. श्री बाबूलाल जायसवाल निवासी- 2324/बी राइट टाऊन जबलपुर तह0 जिला जबलपुर वालो ने।

ॐ (विक्रय संपत्ति का विवरण) ॐ

इस दस्तावेज की विक्रय विषय वस्तु कृषि भूमि है, जिसका प्रयोजन शुरु से ही कृषि रहा है, लगातार कृषि हो रही है। लगातार भूमि का प्रयोजन कृषि में होने से विक्रय भूमि स्थित भूमि की परिभाषा में नहीं आती है, तथा कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्र जबलपुर से प्राप्त अभिमत क्रमांक 3497 एवं 3498/ नग्रानि/ जबलपुर दिनांक 9.10.79 की जानकारी में जबलपुर विकास योजना मत में विक्रय भूमि का निर्दिष्ट उपयोग कृषि भूमि है।

विक्रय जमीन मौजा लमती (ग्राम पंचायत [illegible]) प.ह.नं. 642 [illegible] नं. 25 पुराना, नया नं. 34 रा. नि. मं. जबलपुर [illegible] जिला जबलपुर में स्थित विक्रय भूमि खसरा नं. क्रमशः 39/2/7, [illegible] 36, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 की रकबा क्रमशः 1.100 हैक्टेयर, 1.000 हैक्टेयर, 0.250 हैक्टेयर, 0.680 हैक्टेयर, 0.170 हैक्टेयर, कुल विक्रय भूमि 3.200 है. यानि 8.00 एकड़ भू अधिकार पुस्तिका क्रमांक क्रमशः पी. 5[illegible]381, पी. 196872, पी.

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0000 998454

569381, जे. 423963, जे. 423963, लगान रेट मुताबिक हवक भूमि स्वामी की है, सदैव के वास्ते समस्त अधिकारो सुखाधिकारो के सहित बेची है। इस विक्रय भूमि को संलग्न नक्शा मे लाल रंग से घिरा दर्शाया गया है।

चौहद्दी:- विक्रय भूमि के उत्तर मे रास्ता तथा रेडियो स्टेशन की बाउण्ड्री वाल, दक्षिण मे विक्रेताओ की भूमि, पूर्व मे महर्षि शिक्षा संस्थान की भूमि तथा स्प्रिच्युअल रिजनरेशन मूवमेंट फाउण्डेशन आफ इंडिया व पश्चिम मे विक्रेताओ की भूमि है।

प्रतिफल

उक्त भूमि का विक्रय प्रतिफल रुपया 48,40,000 अंकन अड़तालीस लाख चालीस हजार रुपया है, जो विक्रेताओ ने आप क्रेता से स्टेट बैंक आफ इंदौर जबलपुर मे देय चैक / ड्राफ्ट के द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त किया :-

चैक/ड्राफ्ट. क्र.	दिनांक	मूल्य	
762626	30.10.99	51,000 रु	इक्यावन हजार रु.
541253	15.12.99	16,12,500 रु	सोलह लाख बारह हजार पांच सौ रुपया
541254	15.12.99	14,95,500 रु	[illegible] लाख पच्चानवे हजार पांच सौ रुपया
541255	15.12.99	14,95,500 रु	[illegible] लाख पच्चानवे हजार पांच सौ रुपया
046351	21.12.99	2,05,500 रु	[illegible] हजार पांच सौ रुपया

RUPEES 25000 भारतीय गैर न्यायिक RUPEES 25000

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

25000 25000

पच्चीस हजार रुपये

00DD 998409

विक्रय पत्र का लेख

वावत् ऐसा कि उक्त विक्रय संपत्ति के विक्रेता स्वतंत्र मालिक काविज चले आते हैं, व समस्त वैधानिक अधिकार हासिल हैं विक्रेता का नाम सभी भू राजस्व अभिलेखों पर हक्क भूमि स्वामी की हैसियत से दर्ज है, क्रेता उक्त जायदाद क्रय करने के इच्छुक थे और चूंकि क्रेता का प्रस्ताव अन्य क्रेताओं के मध्य से सर्वोत्तम था, अतः आप क्रेता को ही विक्रय करना तय किया अतः यह उपरोक्त वर्णित उक्त कृषि भूमि संपत्ति को सदैव के वास्ते समस्त अधिकारों सुखाधिकारों के सहित स्थाई तौर पर स्थित हर चीज के सहित खाली व पाक साफ हालत में विक्रय कर खास कब्जा दखल मालकाना सौंप दिया है, अब आज से आप उक्त जायदाद के मालिक हुए, उक्त विक्रीत जायदाद मौजा लमती में स्थित है, आज से आप क्रेता उपरोक्त विक्रय भूमि के पूर्ण रूपेण मालिक हुए। कब्जा खास आपका हुआ आप हक्क भूमि स्वामी व मालिक काविज हैसियत से भू राजस्व अभिलेखों पर अपना नाम दर्ज करा लें।

यह कि विक्रय संपत्ति पाक साफ है, कहीं रहन, विक्रय, दान आदि नहीं है। किसी जमानत आदि का भार नहीं है, सभी प्रकार के भार व झगड़ों से मुक्त है। किसी का कोई हक्क हिस्सा दावा देना शेष नहीं रह गया है।

यह कि विक्रय संपत्ति का आज तक का जो भी लगान, टेक्स, बैंक आदि अदा है, यदि शेष होगा तो विक्रेता अदा करेगें। आज के बाद का जो लगे सो आप क्रेता देना, पिछला विक्रेता अदा करेगें।

25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000 RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

0000 998391

यह कि श्रीमति वीरांगना जायसवाल धर्मपत्नि स्व. श्री श्याम मनोहर जायसवाल ने श्री कृष्ण मनोहर जायसवाल पिता स्व. श्री बाबूलाल जी जायसवाल निवासी- 2324बी राइट टाउन जबलपुर वालों को ,उक्त भूमि बेचने के लिये अपना मु. आम समक्ष नोटरी श्री जी. पी. चौबे के जरिये अधिकृत जबलपुर के मु. आम नियुक्त किया है तथा श्रीमति परांजय जायसवाल धर्मपत्नि संदीप जायसवाल ने श्री कृष्ण मनोहर जायसवाल पिता स्व. श्री बाबूलाल जी जायसवाल निवासी- 2324बी राइट टाउन जबलपुर वालों को समक्ष नोटरी श्री एस. के. तिवारी भोपाल के जरिये अधिकृत मु. आम द्वारा उक्त जायदाद विक्रय करने के लिये नियुक्त किया है।

यह कि अब विक्रय संपत्ति के बाबत् विक्रेता या उनके वारसानों को कोई उजर बाकी नहीं रहा ना होगा। यह लिखतम की पाबंदी सभी पर सदा होगी।

अतः यह विक्रय पत्र राजी खुशी से स्वस्थ मन दशा में समक्ष गवाहों के बिना किसी दबाव या लालच के पढ़कर सुन समझकर लिख दिया कि प्रमाण रहे वक्त जरूरत पर काम आवे। जबलपुर दिनांक- 25.1.2000 ई0 ह0 का0 दानपति अभय जैन दस्तावेज लेखक उप पंजीयक कार्यालय जबलपुर। निजी कार्यालय शॉप नं. 14 नगर निगम मार्केट सेल्स टेक्स ऑफिस के सामने घंटाघर जबलपुर काट छाँट नहीं है।

गवाह:-1

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह:-2 दानपति अभय कुमार जैन

दस्तावेज लेखक (म.प्र.)

उप पंजीयक कार्यालय, जबलपुर (म.प्र.)